

भारत सरकार  
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1990  
31 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

**हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि**

**1990. श्री सतपाल ब्रह्मचारी :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हरियाणा में विशेषकर सोनीपत लोक सभा क्षेत्र में विगत पाँच वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का ज़िलावार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या आवंटित निधि का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रह गया है;
- (ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) सरकार द्वारा निधि के उपयोग और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री रवनीत सिंह)**

(क) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, यथा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अलावा, एमओएफपीआई द्वारा केंद्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। ये तीनों योजनाएँ हरियाणा के सभी जिलों सहित पूरे देश में एमओएफपीआई द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत जिला/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने हरियाणा राज्य में 1398.43 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत और 350.27 करोड़ रुपये की स्वीकृत अनुदान सहायता वाली 47 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से 589.78 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत और 147.56 करोड़ रुपये की स्वीकृत अनुदान सहायता वाली 22 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएँ हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित हैं। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने हरियाणा राज्य में 74.53 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ 9 स्थानों पर प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें से 19.9 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश वाली 4 परियोजनाएँ हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित हैं।

वर्ष 2020-21 से पीएमएफएमई योजना के तहत हरियाणा को जारी की गई धनराशि में केंद्र के हिस्से का विवरण निम्नानुसार है-

(करोड़ रुपये में)

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
हरियाणा	3.23	3.98	5.46	11.25	25	25

राज्यवार निधि आवंटन वित्त वर्ष 2024-25 से शुरू किया गया था, और यह राज्य के किए गए व्यय और प्रतिबद्ध देनदारियों के आधार पर संशोधन के अधीन है।

योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए लाभार्थियों के साथ लगातार वर्चुअल/फिजिकल बैठकें आयोजित कर रहा है और राज्य स्तर पर नियमित निगरानी भी की जा रही है।